संख्या- 06 /2016/आरएफ 61 /नौ-9-2016- 59आरएफ/14

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,बिजनौर/
नगर पंचायत,मीरगंज,बरेली।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 18 जनवरी , 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 531/ न0पा0परि0बि0/ 15, दिनांक 07.07.2015 एवं पत्र संख्या-173/न0प0मीरगंज/2014-15,दिनांक 15-09-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-आरएफ;107/नौ-9-2014-22आरएफ/15,दिनांक 24.02.2015 द्वारा नगर पालिका परिषद,बिजनौर को अवस्थापना सम्बन्धी विकास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 189.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 94.54 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त निकाय द्वारा अवमुक्त धनराशि कतिपय कारणों से कोषागार से आहरित न किये जाने के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो गयी तथा शासनादेश संख्या- आरएफ.395/नौ-9-2013-105आरफ/ 13, दिनांक 26.07.2013 द्वारा नगर पंचायत,मीरगंज,जनपद-बरेली को वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 35.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त निकाय द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 18.67 लाख कतिपय कारणों से कोषागार से आहरित न किये जाने के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति

http://shasanadesh.up.nic.in

पर व्यपगत हो गयी। उक्त निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यपगत हो जाने के कारण निकायों की मांग पर स्वीकृत कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक से नगर पालिका परिषद,बिजनौर एवं नगर पंचायत,मीरगंज,जनपद-बरेली को क्रमशः रू0 94.54 लाख एवं रू0 18.67 लाख **कुल धनराशि रू0 113.21 लाख (रूपये एक करोड तेरह लाख इक्कीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	व्यपगत हुई धनराशि	व्यपगत धनराशि की वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृति
1	नगर पालिका परिषद,बिजनौर	आरएफ 107/नौ-9-2014-22आरएफ/15,दिनांक 24.02.2015	189.04	94.54	94.54
2	नगर पंचायत, मीरगंज, बरेली।	आरएफ.395/नौ-9-2013-105आरएफ/13, दिनांक 26.07.2013	35.00	18.67	18.67
		योग			113.21

(रूपये एक करोड तेरह लाख इक्कीस हजार मात्र)

(1)- यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य बैंक/ डाकघर/ पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

http://sfcsaradesh.up.nic.in

(3) योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या -2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015,दिनांक 30 मार्च,2015 दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय /उपयोग नीति आयोग,भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाय।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान आदि का कार्य निकाय के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत/ संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगें।

(6)- प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत इंजिंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(7)- धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यो पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा ताकि किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो। स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(8)- स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(9)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

http://sfcsandesh.up.nic.in

(10)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् "नया सवेरा नगर विकास योजना" का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(11)- उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। जिन निकायों को स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी है उनके द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत उपयोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(12)- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(13)- वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।

(14)- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान की संख्या-37 के लेखाशीर्षक-"6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02- मल-जल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता- 04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला

http://upnagarnideshalaya.up.nic.in

जायगा एवं अनुदान संख्या–37 के लेखाशीर्षक–"6215–जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज– आयोजनागत– 02–मल–जल तथा सफाई–193–नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता–04–नया सवेरा नगर विकास योजना–30–निवेश/ऋण" में उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा तथा अनुदान संख्या–37 के लेखाशीर्षक–"6215–जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज– आयोजनागत– 02–मल–जल तथा सफाई–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता–04– नया सवेरा नगर विकास योजना–30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या--2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015,दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक : बी0एम0-9 प्रपत्र।

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 06 /2016/आरएफ. 6\ (1)/बी-9-2016, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. कोषाधिकारी,बिजनौर/ बरेली।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. अध्यक्ष,सम्बन्धित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. गार्ड फाइल ।
10. बेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

GORF-(14-15)

http://sirsaanadesh.up.nic.in